## Speed post /तीव्र डाक

भारतसरकार खानमंत्रालय भारतीय खानब्यूरो क्षेत्रीय खाननियंत्रक काकार्यालय माखुपुराओद्योगिक क्षेत्र अजमेर 305002 ई–मेल: ro.ajmer@jbm.gov.in





## Violation letter/उल्लंघन पत्र

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of Mines.
Makhupura Industrial Area, Ajmer- 305002
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-2695202

दिनांक: 09/06/2022

संख्या : RAJ/AJM-90//Lst-02

प्रेषित : श्री एम. के. गर्ग,

श्यामगढ़ चूना पत्थर खान, मेसर्स श्री सीमेंट वर्क्स,

बांगुर नगर, ब्यावर - 305901,

जिला - अजमेर (राज.)

(e-mail: shreebwr@shreecementltd.com, gargmk@shreecementltd.com)

विषयः Violation of provision of Mineral Conservation and development rule 2017 in respect of your Shyamgarh Limestone Mine (ML-03/13, Lease Area 448.50 hectare) in Ajmer district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 29/04/2022 by undersign in presence of Sri Gaurav Singh Chauhan, Mine Manager and Shri Vijay Gaur, Geologist of your company:

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining Plan approved on 25/11/2019 to the extent given below for the year 2021-22:  (1) A workshop has been developed over non-approved area between boundary pillars
	K and J.  (2) A total of 126005.28 CuM of waste were generated against the target of 52720.00
	CuM.  (3) A total of 1.18 million tons of Limestone was produced against the target of 2.00 million tones.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत :

(क) आपकी खदान की सारी संकियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरूध्द अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) राज्य सरकारा को खनन पट्टे की समप्ति की सिफारिश।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की दिनांक से 45 (पैतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

> (दिलीप जैन) वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो

## प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित :-

- 1 खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ई मेल द्वारा)
- 2 निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3 खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, ब्यावर, (Raj.).
- 4 रक्षित पत्रावली।

- sd-

वरिष्ठ खनन भूविज्ञानी भारतीय खान ब्यूरो